उ0प्र0 पावर ट्रासमिशन कारपोरेशन लि0, **ई-निविदा आमंत्रण सूचना** अनुभवी कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों से विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, जौली रोड़, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत निम्न कार्यो/आपूर्ति हेतु ई-निविदायें ई-पोंटल **etender.up.nic.in** पर दो भागो में निविदा खोलने की दिनांक को 12.00 बजे तक आंमत्रित की जाती है। निर्धारित निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि आर०टी०जी०एस०/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से (निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि पृथक-पृथक हस्तांरित की जानी है) UPPCL Executive Engineer, UPPCL 400KV, Muzaffarnagar के पक्ष में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर शाखा में संचालित चालू बैंक खाता संख्या 1870219615 (IFSC Code CBIN0280264) में जमा करायी जायेगी। निविदा के प्रथम भाग में आर०टी०जी०एस०/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा जमा किये गये निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की यथायोग्य यू०टी०आर० संख्या की प्रति, खाते का नाम, निर्गतकर्ता बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निविदादाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पे-इन स्लिप की प्रति, निविदा प्रपत्र, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 संख्या, इन्कम टैक्स रिर्टन की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, तकनीकी अनुभव इत्यादि ई-पोर्टल पर स्कैन्ड प्रतियाँ (PDF format), 'क' श्रेणी के उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत बिजली के ठेकेदारों को सर्टिफिकेट की छायाप्रति तथा ई-निविदा के द्वितीय भाग मे दरे एवं वाणिज्यक नियम व शर्तें ई-पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं अन्य व्यवसायिक प्रपत्र हार्ड कॉपी में अथवा व्यक्तिगत संवाहक के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त नहीं किये जायेंगें। ई-निविदा को उसी दिन निर्धारित समय पर सार्वजनिक रूप से खोला जायेगा। निविदा भाग प्रथम में सम्बधित प्रपत्रों का अपलोड ना किये जाने की स्थिति में निविदा का भाग द्वितीय (प्राईस बिड़) नही खोला जायेगा। ई-निविदा खुलने की तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में ई-निविदा अगले कार्य दिवस मे खोली जायेगी। ई-निविदाओं को बिना कोई कारण बतायें अस्वीकार /विभाजित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। कृपया विस्तृत जानकारी, डाउनलोड, अन्य संशोधनों एव ई-निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक तक विस्तार आदि के सम्बन्ध में कृपया **etender.up.nic.in** पर लॉग आन करें। **विवरण निम्न प्रकार है**- ई-निविदा संख्या, कार्य/सामग्री का विवरण, खुलने की दिनांक, आमंत्रित एवं खोलने का समय धरोहर राशि एवं निविदा का मूल्य के क्रम में पढ़ा जाये। **निविदा संख्या टी-03/2022-23:-** 400 के0वी0 उपकेन्द्र, मुजफ्फरनगर पर स्थित पार्क एवं बगीचों के रख-रखाव का कार्य। खोलने का दिनांक 14.07.2022, धरोहर राशि - रु0 1900.00 टेण्डर शुल्क-रू. 590/- (कर सहित) 12:00 बजे (आमंत्रित), 14:00 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु); **निविदा संख्या टी-04/2022-23:-** 400 के0वी0 उपकेन्द्र, मुजफ्फरनगर पर एल0टी0 सप्लाई हेतु 33 के0वी0 लाइनों के जंग लगे राउण्ड पोलों की पेंटिंग, राउण्ड पोलों की फाउण्डेशन की मरम्मत एवं जर्जर तथा टूट चुके डैन्जर/नम्बर प्लेट, कॉस आर्म को बदलने का कार्य। खोलने का दिनांक 14.07.2022, धरोहर राशि - रु0 1900.00 टेण्डर शुल्क-रू. 590/- (कर सहित) 12:00 बजे (आमंत्रित), 14:20 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) **हस्ता/-अधिशासी अभियन्ता वि0 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड जौली रोड, मुजफ्फरनगर "राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" पत्रांकः 797/वि0 400के0वी0उ0ख0 (मु0)/टी0-03 एवं 04/2022-23, दिनांकः 20.06.2022**

रेलटेल
(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन सं. L64202DL2000GOI107905

निविदा सं.: आरसीआईएल_पूक्षे_2022-23_1397-1399 दिनांक: 20.06.2022
रेलटेल/पूक्षे द्वारा उड़िसा राज्य के विभिन्न स्थानों में 3 वर्ष की अवधि के लिए ILL कनेक्टिविटी से 30 DHQs एवं 314 BHQs की डिलीवरी के लिए विभिन्न क्षमताओं की लास्ट माईल आरएफ कनेक्टिविटी किराये पर लेने" हेतु पात्र बोलीदाताओं से ई-बोलियां आमंत्रित की जाती है।
निविदा सूचना/ और निविदा दस्तावेज www.railtelindia.com, https://eprocure.gov.in और https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। सभी भावी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल रेलटेल की वेबसाइट, सीपीपी पोर्टल और आईआरईपीएस पोर्टल पर अपलोड किये जाएंगे। बोलीदाताओं को अपनी बोलियां केवल आईआरईपीएस पोर्टल पर जमा करनी होंगी।

पंजाब नेशनल बैंक punjab national bank

पजाब नेशनल बेक, बीकानेर
सस्त्र, कार्यालय, ए-17, कांता खतूरिया कॉलोनी, बीकानेर

यह कि सस्त्र कार्यालय, पंजाब नेशनल बेंक, बीकानेर द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत संपत्ति 1897 स्क्वायर मीटर स्थित खसरा नं. 173/1 जयमलसर, नोखा देंया रोड़ तहसील कोलायत, जिला बीकानेर की सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से श्री आशीष पुरोहित पुत्र श्री कैलाश चन्द्र पुरोहित निवासी मनावतों की गली, बिस्सों का चौक, बीकानेर को सफलतम बोलीदाता होने पर बेंक द्वारा विक्रय किया था। विक्रय उपरांत दिनांक 02.07.2021 को विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसका पंजीयन होना अभी भी लंबित है तथा क्रेता ने आवेदन कर बेंक को उक्त प्रमाण पत्र पुनर्वेधिकरण करने हेतु निवेदन किया है। इस नोटिस के माध्यम से आमजन/संस्था को सूचित किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति/संस्था को इस संदर्भ में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्राप्ति के सात दिवस के अंदर संपत्ति के संदर्भ में अपनी आपत्ति बेंक को दर्ज करें अन्यथा इसके उपरांत बेंक द्वारा उक्त विक्रय प्रमाण पत्र को पंजीयन हेतु पुनर्वेधिकरण कर दिया जाएगा, जिसके पश्चात बेंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बेंक, बीकानेर

विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
VISTAAR FINANCE
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 59 और 60-23,22वां क्रॉस, 29वां मुख्य बीटीएम, दूसरा चरण, बेंगलुरु 560076, www.vistaarfinance.com

परिशिष्ट-IV [नियम- 8(1)देखें]
कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.03.2022 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता (ओं) श्री प्रताप सिंह, रामसनेही, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती अनुसिया और रामरूप को दिनांक 16-03-2022 के अनुसार ऋण खाता संख्या 0216SBML01302 के खिलाफ, रु. 5105687/- (इक्यावन लाख पांच हजार छह सौ सत्तासी रुपये मात्र) के साथ वास्तविक भुगतान प्राप्त होने तक भविष्य के ब्याज और अन्य शुल्क आदि को उक्त नोटिस प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा गया है।

ऋणकर्ता (ऋणकर्ताओं) ने उक्त राशि को चुकाने में विफल रहे हैं, ऋणकर्ता (ऋणकर्ताओं) और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के उप धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 17 जून 2022 को प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणकर्ता (ऋणकर्ताओं) और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है उक्त संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 16-03-2022 के अनुसार रु. 51,05,687/- (इक्यावन लाख पांच हजार छह सौ सत्तासी रुपये मात्र) के साथ वास्तविक भुगतान प्राप्त होने तक भविष्य के ब्याज और अन्य शुल्क के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रतिभूति संपत्ति का विवरण

ग्राम सरफाबाद, परगना और तहसील-दादरी, गौतमबौद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित खसरा संख्या 150, खाता संख्या 29 पर भूमि और भवन के हिस्से का वह सब टुकड़ा और अंश, प्लॉट का मापक्षेत्र 100 वर्ग गज। पूर्वः वीरेंद्र का भूखंड, पश्चिमः 10 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः निर्देश यादव का भूखंड, दक्षिणः बंगाली का भूखंड। पंजीकरण विवरण-पुस्तक संख्या-1, खंड संख्या-4095, पृष्ठ संख्या-341-370, डॉक्स/सीरियल नंबर-1564, दिनांक-03.04.2014, सब रजिस्ट्रार- नोएडा प्रथम, रामसनेही और प्रताप सिंह के नाम से पंजीकृत।

दिनांकः 17.06.2022 — **अधिकृत अधिकारी**
स्थानः नोएडा, उत्तर प्रदेश — **विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व की देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
सीआईएन : L65910MH1984PLC032639
पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नंबर -601, 6ठी मंजिल पीरामल एमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070 -
दूरभाष : +91 22 3802 4000
शाखा कार्यालय: प्लॉट नं. 6, ब्लॉक ए, सेक्टर -2, नोएडा-201 301
संपर्क व्यक्ति : 1. स्तुति द्विवेदीः +918802889030, 2. उम्मेद पंवारः +918890631111, 3. रोहन सावंतः 9833143013

Piramal Capital & Housing Finance

ई-नीलामी बिक्री सूचना-नयी बिक्री

ऋणधारक/ कों से बकाये राशि की वसूली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की डीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति के कब्जे के अनुपालन में भौतिक कब्जे में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति की जैसा है जहां है आधार, जो भी जैसा है आधार तथा जो कुछ भी वहां है आधार पर खरीद के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित है जिसके विवरण निम्नलिखित हैं :

ऋण कोड शाखा/कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का पता	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (31-05-2022)
ऋण कोड सख्या 00001959 और 00001983, दिल्ली (शाखा), गोपालसन्स स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार), शशि सचदेवा (सह कर्जदार 1), रोहित सचदेवा (सह कर्जदार 2), कुलभूषण सचदेवा (गारंटर 1), रजत सचदेवा (गारंटर 2), के बी सचदेवा एचयूएफ (गारंटर 3)	दिनांकः 27-12-2018, रु. 14220596/-, (रु. एक करोड़ बयालीस लाख बीस हजार पांच सौ छियानबे मात्र) और दिनांकः 19-11-2019, रु. 1479711/-, (रुपये चौदह लाख उन्यासी हजार सात सौ ग्यारह मात्र)	अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भाग :-फ्लैट नंबर 1 प्लॉट नंबर 23, 2सरा तल, रियर एलएचएस ब्लॉक बी दक्षिणी पश्चिमी भाग, अशोका आर्केड मकान नंबर बी 23, ग्रेटर कैलाश 1 दिल्ली, नई दिल्ली-110048 सीमाएंः उत्तरः रोड दक्षिणः प्लॉट नंबर 25, पूर्वः रोड पश्चिमः रोड	रु. 15120000/-, (रुपये एक करोड़ इक्यावन लाख बीस हजार मात्र)	रु. 1512000/-, (रुपये पन्द्रह लाख बारह हजार मात्र)	रु. 17776446/-, (रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख छिहत्तर हजार चार सौ छियालीस मात्र) तथा रु. 1510621 /-, (रुपये पन्द्रह लाख दस हजार छः सौ इक्कीस मात्र)
ऋण कोड संख्या 00041596 और 00041650, दिल्ली (शाखा), राहुल शर्मा (कर्जदार), स्मृति शर्मा (सह कर्जदार 1), कीमिया इंडिया (सह कर्जदार 2)	दिनांकः 27-12-2018, रु. 12973268/-, (रु. एक करोड़ उनतीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ अड़सठ मात्र) और दिनांकः 27-12-2018, रु. 4248001/-, (रुपये बयालीस लाख अड़तालीस हजार एक मात्र)	अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भागः- प्लॉट नंबर 15, दूसरा तल, रोड नंबर 5 सर्वप्रिय विहार दिल्ली नई दिल्लीः 110017 सीमाएंः- उत्तरः सर्विस लेन दक्षिणः रोड पूर्वः प्लॉट नंबर 17 पश्चिमः प्लॉट नंबर 13	रु. 20550000/-, (रुपये दो करोड़ पाँच लाख पचास हजार मात्र)	रु. 2055000/-, (रुपये बीस लाख पचपन हजार मात्र)	रु. 17708888/-, (रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख आठ हजार आठ सौ अट्ठासी मात्र) तथा रु. 5715250/-, (रुपये सत्तावन लाख पन्द्रह हजार दो सौ पचास मात्र)

ई-नीलामी की तिथि : 26.07.2022, 11.00 बजे पूर्वा. से 3.00 बजे अप.
(5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित), संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 25.07.2022 को 4.00 बजे अप. से पूर्व

नीलामी के नियम एवं शर्तें

बिक्री निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अध्यधीन होगी :
1. संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
2. एकल संविदाकार की स्थिति में, संविदाकार/क्रेता को रु. 10,000/- की राशि की वृद्धि के साथ बोली लगानी होगी।
3. नीलामी/बोली केवल सेवा प्रदाता अर्थात कम्पनी नाम : सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेवा प्रदाता का नाम : श्री धरनी कृष्णा, सम्पर्क नं. 9948182222; साइट : https://www.bankeauctions.com के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' द्वारा होगी।
4. यहां उपरोक्त अनुसूची में प्रतिभूत आस्तियों के पर्याप्त विवरण शामिल करने का ध्यान रखा गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी या चूक के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करने और ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले संबंधित संपत्ति जैसा कि ऊपर वर्णित है, के लिए ई-नीलामी बिक्री के लिए विस्तृत नियम और शर्तों के लिए पोर्टल https://www.bankeauctions.com देखें और संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।
6. नीलामी आरक्षित मूल्य से एक वृद्धि पर शुरू होगी और बोलीदाता ऊपर बताई गई न्यूनतम वृद्धिशील राशि के साथ अपने प्रस्ताव में सुधार करके आपस में बोली लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
7. 10% जमा धरोहर राशि (ईएमडी) की डीडी 25.07.2022 को शाम 4:00 बजे तक या उससे पहले नामित शाखा में, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड या पीसीएचएफएल के पक्ष में केवाईसी सहित निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे बोली प्रपत्र तथा निविदा/मुहरबन्द संविदा/प्रस्ताव जमा जमा करने होंगे क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण। ख) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ और आवासीय पते और पैन कार्ड वाले पहचान पत्र की स्व-सत्यापित वास्तविक प्रति, दस्तावेज का मूल संबंधित अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ग) इच्छुक बोलीदाता का मोबाइल नंबर और ई-मेल पता, घ) ईएमडी की वापसी के उद्देश्य से बोली लगाने वाले के बैंक खाते का विवरण।
8. इच्छुक बोलीदाता जो लॉग इन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता चाहते हैं, वे श्री धरनी कृष्णा, सम्पर्क नं. 9948182222, हेल्प लाइन ई-मेल आईडी : https://www.bankeauctions.com से सम्पर्क करें तथा सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रश्न के लिए पीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी उमेद पंवार से +918890631111 से किसी भी कार्य दिवस में कार्य के घंटों में सम्पर्क करें।
9. सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा बिक्री पर रोक या वसूली की कार्यवाही के मामले में, नीलामी को ऐसे आदेश के अनुपालन में बिना किसी अन्य नोटिस के स्थगित/रद्द किया जा सकता है और बिक्री में भाग लेने वाले व्यक्तियों को ऐसे स्थगन/रद्दीकरण आदि के लिए मुआवजा या लागत के नुकसान का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
10. केवल वैध यूजर आईडी और पासवर्ड रखने वाले और एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान की पुष्टि करने वाले बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए नीलामी प्रक्रिया के समापन से पहले किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने या रद्द करने या स्थगित करने या बंद करने या नीलामी की शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
11. सफल बोलीदाता को अपने पक्ष में बोली को खारिज करने से तुरंत (पहले से भुगतान की गई धरोहर राशि सहित) क्रय राशि का 25% उसी तरीके से भुगतान करना होगा, जैसा कि ऊपर खंड 7 में निर्धारित किया गया है। क्रय मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की स्वीकृति / पुष्टि के 15 दिनों के भीतर उसी तरीके से करना होगा जैसा कि उन्हें सूचित करते हुए ऊपर निर्धारित किया गया है। चूक के मामले में, तब तक जमा की गई सभी राशियों को धरोहर राशि सहित जब्त कर लिया जाएगा।
12. बिक्री मूल्य का केवल 25% जमा करने से सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने का हकदार नहीं होगा। बिक्री इस ई-नीलामी नोटिस पर लागू नियमों और शर्तों के अधीन होगी और उस प्रभाव के लिए प्रतिभूत लेनदार द्वारा पुष्टि की जाएगी।
13. असफल बोलीदाता की ईएमडी (ब्याज के बिना) ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया के बंद होने के तीसरे दिन आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से वापस कर दी जाएगी।
14. ई-नीलामी के दौरान, यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
15. यह बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। यदि कर्जदार/गारंटर इस नोटिस के प्रकाशन से पहले बैंक की बकाया पूरी राशि का भुगतान कर देता है, तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/अटेंडेंट शुल्क/अन्य देय राशि क्रेता को वहन करनी होगी।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उच्चतम सफल बोली लगाने वाले को और उसी नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई है।
18. सम्पत्ति की बिक्री "जहाँ है जैसे है" तथा "जो है यही है" आधार पर की जायेगी और प्राधिकृत अधिकारी या बैंक ई-नीलामी की गई संपत्तियों के संबंध में सरकार या किसी अन्य को किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार, या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति कर, बिजली बकाया आदि की वैधानिक देनदारियों सहित संपत्ति से संबंधित ऋणभार, खोज परिणामों और अन्य राजस्व अभिलेखों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें और बोली जमा करने से पहले स्वयं को संतुष्ट करें।
19. 25.07.2022 को पूर्वाहन 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित शाखा प्रबंधक या अधिकृत अधिकारी या इस उद्देश्य के लिए चिन्हित किसी अन्य अधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ संभावित बोलीदाताओं द्वारा उपरोक्त वर्णित संपत्तियों का निरीक्षण किया जा सकता है।
20. पीसीएचएफएल के पास इस प्रकार प्राप्त किसी या सभी प्रस्तावों या बोली (बोलियों) को स्वीकार/अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए बिक्री को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
21. यदि हिंदी संस्करण या अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन में कोई विसंगति पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में व्याख्या के उद्देश्य के लिए अंग्रेजी संस्करण पर विचार किया जाएगा। बोलीदाता को अपने हित में अंतिम मिनट और सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। विक्रेता की ओर से किसी भी विफलता/चूक (बिजली की विफलता, इंटरनेट विफलता आदि) के लिए न तो पीसीएचएफएल और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैकअप बिजली आपूर्ति आदि की व्यवस्था करें ताकि वे ऐसी स्थिति को रोकने में सक्षम हों और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।
22. यदि ऐसी वसूली की कुल जमा या प्रदत्त राशि 50 लाख रुपये या इससे अधिक होती है तो सफल बोलीदाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह धारा 1941-ए के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करे। फॉर्म 16बी में जारी किए जाने वाले फॉर्म 26क्यूबी एवं टीडीएस प्रमाणपत्र भरकर टीडीएस ऑनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए। क्रेता को ई-नीलामी के 15 दिनों के भीतर सरकारी खाते में आयकर जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को सरफैसी अधिनियम के तहत 30 दिवसीय सांविधिक सूचना
उपरोक्त उल्लिखित कर्जदार/गारंटर को एतद्द्वारा धारा 13(2) नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान अर्जित ब्याज के साथ पूर्ण रूप से नीलामी की तिथि से पहले तक करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष राशि यदि कोई होगी कर्जदार/गारंटर से ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

तिथि : 21.06.2022 — **ह./-**
स्थान : दिल्ली — **अधिकृत प्राधिकारी**

मांग सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत। उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, **आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी** ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें यानी कि सूचनाओं में ऋणकर्ता(ओं) को उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं) में अंकित राषि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि यहां इसमें निम्न उल्लेखित धनराषियों का, मांग सूचना की तिथि(यों) से लेकर के भुगतान की तिथि तक आकलित भावी ब्याज के साथ, इस सूचना के प्रकाषन से 60 दिवसों के अंदर भुगतान करें। ऋणकर्ता(ओं), मांग सूचना की तिथि के अनुसार देयराषि तथा ऋण राषि के प्रतिभुगतान के प्रति प्रस्तावित प्रतिभूति के विवरण निम्नानुसार हैः-

ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
श्री अनिल कुमार श्रीमती प्रवीण **(प्रोस्पेक्ट नं. 932770, 933021, 897886 एवं 963993)**	16 जून 2022 एवं रु. 5,07,404/- (रुपए पांच लाख सात हजार चार सौ चार मात्र) प्रोस्पेक्ट नं. 932770 द्वारा तथा रु. 3,54,734/- (रुपए तीन लाख चव्वन हजार सात सौ चौंतीस मात्र) प्रोस्पेक्ट नं. 933021 द्वारा तथा रु. 20,71,492/- (रुपए बीस लाख इकहत्तर हजार चार सौ बयानबे मात्र) प्रोस्पेक्ट नं. 897886 द्वारा तथा रु. 3,68,206/- (रुपए तीन लाख अड़सठ हजार दो सौ छह मात्र) प्रोस्पेक्ट नं. 963993 द्वारा	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश इस प्रकार हैः संपत्ति जो खेवट/खाता संख्या 32/33 में से है, एम नं. 23, किला नं. 14/2, 17/5, अधिमापन 500 वर्ग फुट जो वाका सेवाना, मौजा सुखराली, तहसील जनपद-गुड़गांव, हरियाणा-122001 में स्थित हैं
श्री रोहताश कुमार, श्रीमती चंद्रेश, मैसर्स श्री बालाजी टेंट हाउस, श्रीमती उमेश उमेश/उमेश देवी श्रीमती प्रवीण **(प्रोस्पेक्ट नं 812872 एवं 841825 एवं 933741)**	16 जून 2022 एवं रु. 22,79,782/- (रुपए बाईस लाख उन्यासी हजार सात सौ बयासी मात्र) प्रोस्पेक्ट नं. 812872 द्वारा तथा रु. 26,76,251/- (रुपए छब्बीस लाख छिहत्तर हजार दो सौ इक्यावन मात्र) प्रोस्पेक्ट नं. 841825 द्वारा तथा रु. 8,31,894/- (रुपए आठ लाख इकतीस हजार आठ सौ चौरानबे मात्र) प्रोस्पेक्ट नं. 933741 द्वारा	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश इस प्रकार है संपत्ति क्षेत्र मापन 20228 वर्ग फुट (3 कनाल, 14 मारला 6 सरसाई) ऑफ खाता संख्या 529/564, मुस्तिल संख्या 49, किला संख्या 12(8-0), 13 (8-0) फिरता 2 तथा खाता संख्या 592/2/564/1 मुस्तिल संख्या 49, किला संख्या 11 (8-0), मुस्तिल संख्या 50, किला संख्या 10(8-0), 11(8-0), 20 (8-0), 21(8-0), मुस्तिल संख्या 51, किला सं. 16(8-0), 25(8-0) किस्ता 7, वाका मौजा मैदावस, तहसील- बादशाह पुर, गुड़गांव, जनपद गुड़गांव, गुड़गांव, 122001, हरियाणा, भारत

यदि उक्त ऋणकर्तागण उपर्युक्तानुसार आईआईएफएल एचएफएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आईआईएफएल एचएफएल जो है वह संपूर्ण रूप में ऋणकर्ताओं के जोखिमों, लागतों एवं परिणामों पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा यथालागू, नियमावली के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। अन्य विवरणों के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से शाखा कार्यालय में संपर्क करें आईआईएफएल भवन, इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि., भूखंड सं. 30/30ई, ऊपरी भूतल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ मार्ग, जगुआर शोरूम के समीप, मोती नगर, नई दिल्ली तथा/अथवा निगमित कार्यालयः आईआईएफएल टॉवर, भूखण्ड सं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा।

स्थानः दिल्ली, दिनांकः 20 जून 2022. — **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
ORIX
(पूर्व में ओएआईएस ऑटो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) (ओरिक्स ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)
पंजीकृत कार्यालयः भूखंड सं. 94, मरोल को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059
दूरभाषः 91 22 2859 5093 / 6707 0100, फैक्सः 91 22 2852 8549
ईमेलः info@orixindia.com | www.orixindia.com | सीआईएनः यू74900एमएच2006पीएलसी163937

(वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना)

निम्नलिखित ऋणकर्ताओं एवं सह-ऋणकर्ताओं ने ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से निम्नवर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए थ। निम्नवर्णित ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालन करने में विफल हो चुके हैं और अनियमित बन चुके थे, अतः उनके ऋणों को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। इस प्रकार उनकी ओर से ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को देय-भुग्तेय बकाया राशियां जो हैं वे उन संबंधित सूचनाओं के अनुसार वर्णित हैं, जिन्हें अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में विवरणित किया गया है तथा उक्त राशियों पर भावी ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदात्मक दर के अनुसार प्रभारित होगा।

| क्र. सं. | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | ऋणकर्ताओं के नाम | 13(2) सूचना के अनुसार